International Journal of Applied and Universal Research **E-ISSN No: 2395-0269**
Volume III, Issue VI, NOV-DEC. 2016 Available online at: www.ijaur.com

राजनीति को धार्मिक पाखण्ड से हटाये

डॉ. किशन यादव
विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग
बुन्देलखण्ड कॉलेज, झाँसी (उ.प्र.)

साराशंः: भारत विभिन्न जातियों और धर्मावलंबियों का देश हैं। प्रत्येक संप्रदाय की उपासना पद्धति अलग–अलग है, इसलिए किसी एक संप्रदाय की उपासना पद्धति को धर्म मानकर सरकारी संरक्षण प्रदान करना भारत जैसे देश में संभव नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि आखिर धर्म क्या है ? चूंकि धर्म शाश्वत है, इसलिए उसकी परिभाषा भी शाश्वत होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य धर्म का दर्पण है, अर्थात् मनुष्य का व्यवहार, बोलचाल, ईमानदारी, आत्मानुशासन, राष्ट्रप्रेम आदि नैतिक और मानवी गुणों के समुच्चय का नाम ही धर्म है। किसी ने कहा है कि 'ऐसे कर्तव्य अनुबंध का नाम ही धर्म है जो मानवी गारिमा के सभी पक्षों को उत्कृष्ट बनने में सहायक होता है'। इस प्रकार धर्म और कर्तव्य पर्यायवाची है। कर्म के माध्यम से धर्म मनुष्य मे दिखता है। समाज मनुष्य से बनता है, इसलिए समाज भी धर्म का प्रतिबिम्ब है। यही बात किसी राजनीति दल के लिए भी लागू होती है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार धर्म वह है, जो मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करें। धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास कर उसे सुख पहुँचाना है।

मुख्यशब्दः धर्म, राजनीति वोट बैंक।

प्रस्तावनाः-

भारत विभिन्न जातियों और धर्मावलंबियों का देश हैं। प्रश्न यह उठता है कि आखिर धर्म क्या है ? चूंकि धर्म शाश्वत है, इसलिए उसकी परिभाषा भी शाश्वत होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य धर्म का दर्पण है, अर्थात् मनुष्य का व्यवहार, बोलचाल, ईमानदारी, आत्मानुशासन, राष्ट्रप्रेम आदि नैतिक और मानवी गुणों के समुच्चय का नाम ही धर्म है। किसी ने कहा है कि 'ऐसे कर्तव्य अनुबंध का नाम ही धर्म है जो मानवी गारिमा के सभी पक्षों को उत्कृष्ट बनने में सहायक होता है'। इस प्रकार धर्म और कर्तव्य पर्यायवाची है। कर्म के माध्यम से धर्म मनुष्य मे दिखता है। समाज मनुष्य से बनता है, इसलिए समाज भी धर्म का प्रतिबिम्ब है। यही बात किसी राजनीति दल के लिए भी लागू होती है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार धर्म वह है, जो मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करें। धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास कर उसे सुख पहुँचाना है।

धर्म की इस परिभाषा के अनुसार हम कह सकते है कि हमारी लोकतांत्रिक सरकार धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी धर्म सापेक्ष है, क्योकि उसका हर कार्य मानव विकास और उसके सुख के लिए किया जा रहा है। कमजोर वर्ग को शिक्षा प्राप्ति की और रोजगार की विशेष सुविधा, बेसहारा वृद्ध स्त्री–पुरूषों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि सरकार के सैकड़ों लोक कल्याणकारी कार्य क्या मानव धर्म के अंतर्गत नहीं आते है ? क्या मंदिर–मस्जिद का निर्माण और देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना ही धर्म है? यह किसी व्यक्ति का धर्म हो सकता है, सरकार का नहीं। सरकार का धर्म तो व्यक्तियों में राष्ट्रीयता पैदा कर उनको खुशहाल करना है। चुंकि प्रजातंत्र में सरकार का गठन दलीय आधार पर होता है, इसलिए दल विशेष का धर्म भी लोगों में राष्ट्रीयता पैदा करना और उनको खुशहाल रखना है।

भारत विभिन्न जातियों और धर्मावलंबियों का देश हैं। प्रत्येक संप्रदाय की उपासना पद्धति अलग–अलग है, इसलिए किसी एक संप्रदाय की उपासना पद्धति को धर्म मानकर सरकारी संरक्षण प्रदान करना भारत जैसे देश में संभव नहीं है। श्री लालकृष्ण आडवाणी और प्रो. बलराज मधोक जैसे राजनीतिज्ञों ने हिन्दू शब्द की विस्तृत और सटीक व्याख्या की है। इन विद्वानों के अनुसार प्रत्येक भारतवासी हिन्दू है, चाहे उसकी उपासना पद्धति कुछ भी क्यों न हों। भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने के पीछे यही भावना है। यदि सरकार एक प्रकार की उपासना पद्धति, संस्कृति और मान्यताओं पर विश्वास कर उसको संरक्षण देती है तो क्या अन्य उपासना पद्धतियों का तिरस्कार करना नहीं माना जाएगा? फिर हिन्दू शब्द की विस्तृत व्याख्या की रक्षा कैसे होगी? जब सभी भारतवासी हिन्दू है तो सबकी उपासना पद्धतियों, संस्कृति, मान्यताओं, निष्ठाओं, श्रद्धाबिन्दुओं, परपराओं और महापुरूषों के प्रति समभाव रखना जरूरी है। यही सर्वधर्म समभाव है। धर्मनिरपेक्ष ही वह नीति है, जिसमें सर्वधर्म समभाव और सहिष्णुता निहित है। सरकार जरा असहिष्णु हुई कि विभिन्न उपासना पद्धति के लोगों में कटुता निश्चित हैं। असहिष्णुता का ही कराण था कि दिसंबर 1992 में पूरा देश सांप्रदायिक दंगो में झुलसता रहा।

भारत की धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म शून्यता कभी नहीं रहा। यही कारण रहा है कि पिछले वर्ष सरकार द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद पर एक लाख, अजमेर की दरगाह पर 8 करोड़, सिंहस्थ के मेले में 100 करोड़ रूपये खर्च किए और ओंकारे वर में मरने वाले तीर्थयात्रियों को लाखों रूपये का मुआवजा दिया।

इसके लिए किसी हिन्दू या मुसलमान ने कभी कोई आपत्ति भी नहीं उठायी, परन्तु जब–जब कांग्रेस सरकार धर्मनिरपेक्षता से दूर हटी है, तब–तब मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति क्या छद्म धर्मनिरपेक्षता कहकर उसका विरोध हुआ है। केरल में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से गठबंधन, मुल्लापुरम नामक जिले का गठन, केरल में रविवार के बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रखना, शाहबानो का प्रकरण और अवैध रूप से रहने वाले बंगलादेश के मुसलमानों को भारत से न निकालना इसके उदाहरण है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की मान्यता क्या हमारे धर्मनिरपेक्ष संविधान की टांग नहीं तोड़ता है?

हिन्दुओं का यह कहना भी गलत है कि मध्य युग में राजनीति हिन्दू धर्म प्रधान होने से हिन्दुओं का स्वाभिमान था। धर्म प्रधान होती तो हिन्दू इतना कमजोर कभी नही होता और भारत में मुसलमानों की सत्ता भी कायम न हो पाती। अगर भारतीय इतिहास को देखा जाये तो उस समय राजसत्ता पर धार्मिक पाखण्ड अव य हावी था। चतुर वर्ग ने इस धार्मिक पाखण्ड को दो भागों में बांट रखा था। पहला जनता को लूटने के लिए अंधवि वास पूर्ण विविध कर्मकाण्ड और दूसरा हिन्दू समाज में अपनी प्रतिश्ठा कायम रखने के लिए वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के तहत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य(शास्त्र, त्रास्त्र और संपत्ति के बल पर) तीनों कथित सवर्णों ने अपनी ठेकेदारी चलाने के लिए आधी हिन्दू आबादी को सामाजिक अधिकारों से वंचित रखते हुए अछूत और गुलाम बनाए रखा। उन पर तरह–तरह के पाशविक अत्याचार किए। इसका नतीजा यह हुआ कि जब देश में मुसलमानों की सत्ता कायम हुई तो अनेक कथित अछूत 'हिन्दू धर्म की जय' बोलते हुए मुसलमान बन गये। कारण रहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ हमको पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के साथ भारत मॉ के टुकड़े करना पड़े। यदि यह कहा जाए कि हिन्दू ठेकेदारों द्वारा हिन्दू दलितों पर अत्याचारों की सजा का नाम ही पाकिस्तान है तो गलत न होगा और इसके मूल में धार्मिक पाखंड ही रहा है। आज राजनीति में धर्म सापेक्ष या धर्म निरपेक्ष की जो बहस चल रही है। राजनीति में वास्तविक धर्म (स्वच्छता, नैतिकता और मानवी गुण) तो बहस का मुद्दा हो ही नहीं सकता है।

संविधान के अनुसार बिना किसी की भावना को ठेस पहुंचाकर प्रत्येक व्यक्ति अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति और धर्म प्रचार के लिए स्वतंत्र है। देश में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा राजनैतिक दल है, जो राजनीति में धर्म का पक्षधर है। हिन्दुओं में धार्मिक उन्माद पैदा कर उसको राजनैतिक लाभ भी मिला है। एक राजनैतिक दल होने के नाते भाजपा का साध्य दिल्ली का तख्त है और साधन धर्म है। व्यवहार में अगर देखा जाए तो भाजपा का धर्म अवतारवाद, पुरातन श्रद्धा बिन्दुओं की मान्यता, मंदिर–मठ का निर्माण, साधु–संतों के प्रति श्रद्धा, अन्धरूढ़ियों की रक्षा के साथ आडम्बरपूर्ण विविध कर्मकाण्डों के अतिरिक्त कुछ नही है। पर यह धर्म है या धार्मिक पाखंड, जिसने हिन्दूओं का सर्वनाश किया है। निश्चय ही यह धार्मिक पाखंड है परन्तु भाजपा के शीर्षस्थ नेता हिन्दू संस्कृति के पुनर्स्थापना, हिन्दू अस्मिता, हिन्दू गौरव और स्वाभिमान जैसे भाब्द जाल के आवरण से इस धार्मिक पाखंड को ढककर चल रहे है। इन्ही शब्दावरणों के बल पर उसका विजय रथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है, साथ ही भाजपा ने हिन्दुओं के परमपूज्य साधु–संतों, मठाधीशो, महामण्डलेश्वरों और धर्म गुरूओं को उसी प्रकार अपने विजय रथ के आगे कर रखा है जिस प्रकार बाबर ने गायों को अपनी फौज के आगे रखकर भारत पर विजय प्राप्त की थी। सोचना यह है कि हिन्दूओं को कमजोर करने में इन साधु–संतों की भूमिका सहायक तो नहीं रही।

अब रही हिन्दूओं की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा, अर्थात् हिन्दुओं के मजबूत होने की बात, तो यह तब संभव है, जबकि हिन्दुओं में हमभाव पैदा किया जाए। हमभाव पैदा तब होगा जबकि छुआ–छुत, नीच–ऊँच की भावना दूर कर हिन्दुओं में परस्पर सम्मान और बराबरी का भाव पैदा किया जाए। प्र न यह उठता है कि हिन्दुओं में हमभाव पैदा करने के लिए कौन–सा राजनैतिक दल क्या कर रहा है? अगर हिन्दुओं में हमभाव जागृत करने का सतत् प्रयास किया होता तो आज हिन्दुओं की अस्मिता, गौरव और स्वाभिमान की रक्षा का प्रश्न ही न उठता और स्वाभिमान की गूंज विश्व में सुनाई पड़ती।

निष्कर्षः–

वोट बैक बनाने के लिए तो राजनैतिक दलों ने देश के एक कोनें से दूसरे कोनें तक अनेक यात्राओं का आयोजन किया है, परन्तु दकियानूसी हिन्दुओं के मस्तिष्क का ऑपरेशन करने के लिए किसी दल ने कोई यात्रा या रचनात्मक कार्य नहीं किया। हमे स्वतंत्र हुए अर्द्ध शताब्दी बीत चुकी है पर देश में कथित सवर्ण हिन्दुओं द्वारा कमजोर वर्ग के हिन्दुओं पर अत्याचार की घटनाएं बंद नही हो रही है। राजस्थान में कुम्हेर क्षेत्र के जाटव आज भी 'हिन्दुत्व की जय–जयकार' करते हुए इधर–उधर भटक रहे है। इन घटनाओं में कहीं हिन्दू संस्कृति के पुनरूत्थान का भाव तो नहीं छिपा? कोरे नारे लगाने और मंदिर–मठ के निर्माण से या संप्रदाय विशेष के प्रति घृणा पैदा करने से हिन्दुओं के अस्मिता की रक्षा नहीं की जा सकती है। इसके लिए राजनीति में नैतिक और मानवी धर्म लेकर ही चलना होगा। सत्य तो यह है कि दलित हिन्दू व्यवहारिक धर्म का नाम सुनते ही कांप उठते है, क्योंकि वे इस धर्म का ताण्डव देख चुके है।

सन्दर्भ पुस्तकें –

1. भारतीय समाज – डॉ. शरद कुमार, भारत बुक सेन्टर लखनऊ उ.प्र. 2008।
2. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था –2008–डॉ. एस.एम. सईद, भारत बुक सेटंर लखनऊ उ.प्र. 2008असाधारण निर्दयता (भर्त्सना करना, भलाबुरा कहना) जानबूझ कर निर्दयता पूर्ण व्यवहार (अवहेलना उपेक्षा)।

.

.